फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/निर्देश/21-22
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
[जीएसटी – अन्वेषण प्रकोष्ठ]

10वां माला, टावर-2
जीवन भारती बिल्डिंग
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 17 अगस्त, 2022

निर्देश सं. 03/2022-23 [जीएसटी – अन्वेषण]

विषयः-केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी किए जाने से संबंधित दिशा निर्देश।

बोर्ड की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ मामलों में साक्ष्य/ दस्तावेजों को मांगने के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी एक्ट) की धारा 70 के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों को नियमित प्रकार से समन जारी किए गए हैं। इसके अलावा वैधानिक कागजातों जैसे कि जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, आदि के लिए भी समन भेजा गया है, जोकि जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

2. सीजीएसटी एक्ट की धारा 70 (1) के अनुसार, समन किसी यथोचित अधिकारी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किए जाते हैं जिसकी उपस्थिति किसी जांच में कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या अन्य वास्तु/ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जरूरी होती है और इसे उसी तरह से जारी किया जाता है जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय के वाद में जारी किया जाता है। धारा 70 की उप-धारा (2) के अनुसार, उक्त विधिक प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य को प्राप्त करने को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 एवं धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा। यद्यपि, कर के वंचन आदि का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति से कोई जानकारी या दस्तावेज़ या वक्तव्य प्राप्त करने के लिए किसी समन को जारी करना विभाग का एक साधन है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी

है कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही न्यायसंगत रूप से तथा काफी सोच समझकर किया जाए। अधिकारियों को भी ऐसी स्थिति का पता लगाना चाहिए जिसमें समन भेजने के बजाय जानकारी की मांग के लिए केवल पत्र भेज देना पर्याप्त हो। पहले विरासत संबंधी नियमों के संबंध में बोर्ड ने अधिकारियों को समन को ध्यानपूर्वक जारी करने के लिए सचेत किया था। हालाकि, बोर्ड यह समझता है कि सी जी एस टी के अंतर्गत नए दिशानिर्देश जारी किया जाना जरूरी हैं।

3. बोर्ड यह चाहता है कि सी जी एस टी के अंतर्गत जांच से संबन्धित मामलों में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अवश्य अनुपालन किया जाय:

(i) समन भेजने की शक्ति का प्रयोग सामान्यतया अधीक्षकों के द्वारा किया जाता है यद्यपि उच्चतर अधिकारी भी समन जारी कर सकते हैं। अधीक्षकों द्वारा समन को कम से कम उप/सहायक आयुक्त के पद-स्तर के किसी अधिकारी से पूर्व एवं लिखित अनुमति लेने और समन को जारी करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद ही जारी किया जाना चाहिये।

(ii) जहां किसी प्रचलनात्मक कारणों से ऐसी पूर्व एवं लिखित अनुमति को प्राप्त करना संभव न हो वहाँ ऐसे अधिकारी की मौखिक/ दूरभाष के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए और फिर उसे लिखित रूप में यथाशीघ्र उक्त अधिकारी को सूचित कर दिया जाना चाहिये।

(iii) उन सभी मामलों में जिनमें कि समन जारी किया जाता है, समन भेजने वाले अधिकारी द्वारा समन भेजे गये व्यक्ति की उपस्थिति/गैर-उपस्थिति से संबन्धित ब्यौरा फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए और बयान की एक प्रति फाइल में संलग्न की जानी चाहिये।

(iv) जब तक कि, अपराधी का नाम उजागर करने से जांच पर प्रतिकूल असर न पड़े, तब तक सामान्यतया, समन में उस अपराधी का नाम दर्शाया जाना चाहिए जिसके खिलाफ जांच की कार्यवाही चल रही हो, जिससे कि समन के प्राप्तकर्ता को प्रथम दृष्टया यह पता चल सके कि उसे किस रूप में, अभियुक्त, सह-अभियुक्त या साक्षी के रूप में, समन किया गया है।

(v) वैधानिक दस्तावेजों, जोकि जीएसटी के पोर्टल पर डिजिटल या आनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं, को मगाने के लिये समन जारी करने से परहेज करना चाहिये।

(vi) किसी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों जैसे कि सीएमडी/एमडी/सीईओ/सीएफओ/इसी प्रकार के अन्य अधिकारियों को सामान्यतः प्रथमदृष्टया समन

जारी नहीं किया जाना चाहिए। उनको तभी समन जारी किया जाना चाहिए जब जांच में इस बात के स्पष्ट संकेत हों कि राजस्व की हानि के निर्णय लेने की प्रक्रिया में वे भी शामिल थे।

(vii) बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी, दिनांक 5 नवम्बर,2019 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा जांच के उद्देश्य से करदाताओं एवं अन्य संबन्धित व्यक्तियों को सीबीआईसी के द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी संदेश में दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। समन के प्रारूप को बोर्ड के परिपत्र संख्या 128/47/2019-जीएसटी, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(viii) जिस समय एवं तारीख के लिए समन जारी किया गया हो, उस समय / तारीख को समन जारी करनेवाले अधिकारी को भी अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। यदि कोई आकस्मिकता की स्थिति आती है तो, समन तामील किए गये व्यक्ति को लिखित या मौखिक सूचना पहले ही दे दी जानी चाहिये।

(ix) अपवादस्वरूप महिलाओं, जो कि रिवाज़ के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हैं और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को छोडकर, जिन व्यक्तियों को समन भेजा गया हो, उन सभी को संबन्धित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है। किसी वाद में जांच करते समय सीपीसी की धारा 132 एवं 133 के अंतर्गत इन व्यक्तियों को दी गयी छूट पर का ध्यान करना चाहिये।

(x) समन की तामील सुनिश्चित किए बिना बार-बार समन को जारी किए जाने की स्थिति से बचना चाहिये। ऐसी स्थिति में कि जिस व्यक्ति को समन भेजा गया हो वह बार-बार समन भेजे जाने पर भी जांच कार्य में सहयोग न दे, यथोचित अवसर देने के बाद एवं उचित समयान्तराल पर तीन समन भेजने के बाद अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास यह शिकायत दर्ज की जानी चाहिये कि अभियुक्त ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 172 (समन की तामीली एवं अन्य प्रक्रियाओं से बचना) एवं/ अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 (किसी लोक सेवक के आदेश की उपस्थित न होकर अवहेलना करना) के अंतर्गत अपराध किया है, क्योंकि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत की जा रही किसी जांच को भारतीय दण्ड संहिता 193 एवं 228 के अंतर्गत " एक न्यायिक प्रक्रिया" माना जाता है। ऐसी शिकायत को किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि वांछित व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 के अनुसार

उचित रूप से समन तामील कर दिया गया हो। हालांकि, ऐसा नहीं है कि इससे उक्त व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत पुन: समन जारी ही नहीं किया जा सकता है।

4. इन निर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए सभी कार्यालयों/ संस्थाओं की जानकारी में ला दिया जाए। इन निर्देशों के गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में यदि कोई कठिनाई आती हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

5. इन निर्देशों की पावती भेज दें।

वि.मो.जै.

(विजय मोहन जैन)
आयुक्त [जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी
दूरभाष सं. 011-21400623
ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in

सेवा में:

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई] , नई दिल्ली/सभी डीजी (एसएनयू), डीजीजीआई।
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।
3. वेबमास्टर, सीबीआईसी की वेबसाइट (www.cbic.gov.in) पर अपलोड करने के लिए।